न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

238

समक्ष - आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3394-तीन/13 विरूध्द आदेश दिनांक 18/7/2013 पारित व्दारा आयुक्त, सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 111/अ-6/12-13.

1 सिध्द गोपाल यादव पिता स्व0 श्री प्रागीलाल यादव
उम्र 70 साल पेशा कृषि
2 हरिराम यादव पिता स्व0 प्रागी लाल यादव
उम्र 62 साल पेशा कृषि
दोनों निवासी पन्ना तहसील व जिला पन्ना म0 प्र0

- आवेदकगण

- विरूध्द -

श्रीमती पार्वती पत्नी महोदव अहीर पुत्री हल्के यादव
उम्र 80 साल निवासी ग्राम पल्हरी तहसील नरैनी
जिला बांदा उ0 प्र0

- अनावेदक

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0 पी0 धाकड, अभिभाषक, अनावेदक

निग0प्र0क्र0 3394-तीन/13

आ दे श

(आज दिनांक 31/3/2016 को पारित)

१. यह निगरानी प्र क्र 3394-तीन/13 रा.मं. में म0 प्र0 भू'राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्र क्र 111/अ-6/12-13 में पारित आदेश दि 18-7-2013 के विरुद्ध संस्थित हुआ है.

[२] प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है.

आवेदकों के पिता प्रागी और अनावेदिका के पिता हल्के सगे भाई थे. अनावेदिका अपने पिता की इकलौती सन्तान थी, जो विवाह उपरांत अपने ससुराल चली गई थी और आवेदक लम्बे समय तक वाद सम्पत्ति पर काबिज़ रहे. वर्ष २०१० में अनावेदिका ने तहसीलदार पन्ना के समक्ष अपने हिस्से की भूमि के नामातरण के लिए आवेदन पेश किया. इस पर तहसीलदार ने प्र क्र ९/अ-६/१०-११ कायम कर आपत्तियां आमंत्रित कीं, आवेदकों और अनावेदिका का पक्ष सुना और साक्ष्य, प्रतिपरीक्षण आदि करते हुए आदेश दि १९-९-११ को अनावेदिका के पक्ष में नामांतरण स्वीकार किया. इस पर आवेदकों ने अनु अधि पन्ना के समक्ष अपील की, जहाँ प्र क्र ४/अपील/अ-६/११-१२ के आदेश दि २९-१-१३ से अपील स्वीकृत हुई. इसके विरुद्ध अनावेदिका ने आयुक्त सागर के समक्ष द्वितीय अपील की, जो आक्षेपित आदेश से स्वीकृत हुई. इसके विरुद्ध आवेदकों ने यह निगरानी रा मं में दायर की है.

[३] मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने.

आवेदकपक्ष के अधिवक्ता ने अपने तर्क में निगरानी मेमो के बिंदु दोहराए और यह कहा कि अनावेदिका अपने ससुराल चली गई थी, उसने वर्ष २००८ में आवेदकों के हित में वाद सम्पत्ति किये जाने हेतु एक शपथपत्र दिया था, अनावेदिका के पिता हल्के ने उनके हित में मौखिक वसीयत की थी, और अनावेदिका ने बहुत लम्बे अरसे बाद नामांतरण का आवेदन लगाया था, अतः आयुक्त का आदेश निरस्त कर अनु अधि का आदेश कायम रखा जाए.

अनावेदिका के अधिवक्ता का तर्क था कि तहसीलदार ने उद्घोषणा कर, आपत्तियां आमंत्रित कर और पटवारी प्रतिवेदन से यह चेक करके कि अनावेदिका के अतिरिक्त हल्के की कोई अन्य सन्तान नहीं थी, अनावेदिका के हित में नामांतरण आदेश किया था. उन्होंने तर्क किया कि अनावेदिका का स्वत्व केवल आवेदकों के कब्ज़े और उनके द्वारा बताई जा रही कथित मौखिक वसीयत के आधार पर, या अनावेदिका द्वारा लम्बे समय बाद अपनी सम्पत्ति के नामांतरण का आवेदन लगाए जाने की वजह से समाप्त होना मान्य नहीं किया जा सकता. इस आधार पर उन्होंने अपर आयुक्त का आदेश यथावत रखे जाने का अनुरोध किया.

[४] प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में मैंने अभिलेख का अध्ययन किया.

तर्कों और अभिलेखों के आधार पर में इस प्रकरण में निम्न बिंदु प्रमुखता से टीप और विचार योग्य पाता हूँ:

(१) अनावेदिका पार्वती अपने पिता हल्के की मृत्यु के समय उसकी एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी थी, हलके की पत्नी की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी और उसके कोई अन्य सन्तान नहीं थी.

(२) वाद भूमियाँ जिन पर अनावेदिका का नामांतरण तहसीलदार ने स्वीकृत किया जिसे बाद में आयुक्त ने यथावत किया, अनावेदिका के पिता के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज रहीं.

(३) आवेदकों का यह कहना है कि अनावेदिका के पिता हल्के ने उनके हित में अपनी सम्पत्तियों की मौखिक वसीयत की थी, जिसके प्रमाण हेतु उन्होंने तहसीलदार के समक्ष अपने साक्षियों के कथन भी कराए, किन्तु यदि ऐसी कोई मौखिक वसीयत थी तो उसके आधार पर आवेदकों ने हल्के की मृत्यु के अनेक वर्षों बाद तक अपना नामांतरण कराने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की, और ऐसी मौखिक वसीयत का आधार तभी प्रस्तुत किया जब अनावेदिका ने अपना नामांतरण कराने के लिए तहसील में आवेदन लगाया.

(४) आवेदकों ने अनावेदिका के शपथ पत्र दि २३-९-०८ का आधार अपने पक्ष समर्थन हेतु लिया है. अनावेदिका का तहसील में एक अन्य शपथपत्र के साथ यह कहना है कि वह अनपढ़ थी, इसलिए उसको बहका कर आवेदकों ने उस वर्ष २००८ के शपथ पत्र पर अंगूठा निशान लगवा लिए. उसकी वाद सम्पत्ति, जो उसके उत्तराधिकार की है, आवेदकों को दे देने की कोई मंशा नही रही है.

चूँकि अनावेदिका अनपढ़ है, चूँकि उसने वर्ष २००८ के उक्त शपथपत्र को धोखे से लिखाया गया होना कहा है, और चूँकि उसने बाद में २००८ के उस शपथपत्र के बावजूद उसके प्रतिकूल जाते हुए अपने पिता की भूमि पर दूसरे शपथपत्र के साथ अपना वरिसाना नामांतरण किये जाने की मांग की है और अपनी इस क्लेम को एक के बाद एक न्यायालय में कंटेस्ट भी किया है, अतः वर्ष २००८ के उक्त शपथपत्र का कोई महत्व

शेष नहीं रह जाता और आवेदकों की क्लेम का यह आधार स्थिर नहीं रहता.

(५) आयुक्त ने अपने आक्षेपित आदेश की विवेचना में यह लिखा है कि चूँकि वर्ष २००८ में हुए शपथपत्र की दिनांक को अनावेदिका के हित में अभिलेखों में प्रविष्टि थी ही नहीं इसलिए उसे उसे अंतरित करने का भी अधिकार नहीं था, और यह भी कि बगैर प्रतिफल दिए और उपपंजीयक के यहाँ पंजीयन कराए अनावेदिका आवेदकों के पक्ष में सम्पत्ति के अंतरण सम्बंधी शपथपत्र या कोई भी दस्तावेज़ निष्पादित नहीं कर सकती थी.

(६) यह सही है कि अनावेदिका द्वारा अपने पिता हल्के की मृत्यु के लम्बे समय बाद नामांतरण का आवेदन लगाया गया. आवेदकों का तर्क है कि यदि उसे विधिक वारिस होने के नाते हल्के की भूमि पर वारिसाना नामांतरण कराना था तो ऐसा उसे हल्के की मृत्यु के तुरंत बाद करना चाहिए था क्योंकि आवेदक उक्त सम्पत्ति पर काबिज़ थे.

इस बिंदु को दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो आवेदकों ने भी हल्के की मृत्यु के बाद कभी भी हल्के की सम्पत्ति अपने नाम कराने के लिए कोई नामांतरण आवेदन कहीं नहीं लगाया, केवल जब अनावेदिका ने नामान्तरण आवेदन लगाया तो उसका विरोध किया, जबकि उनके पास उनके पक्ष में हल्के द्वारा की गई कथित मौखिक वसीयत के अतिरिक्त कोई विशेष आधार नहीं था, और यह तथाकथित वसीयत भी लिखित नहीं मौखिक थी, जिसकी तुलना में अनावेदिका के पास उसके हित में नामांतरण कराने हेतु विधिक उत्तराधिकार का ठोस आधार उपलब्ध था.

केवल अपने कब्जे और अनावेदिका की ओर से वर्ष २००८ के शपथपत्र के प्रकाश में आवेदकों द्वारा नामांतरण हेतु कोई आवेदन नहीं लगाया

गया. यह बात यह संकेत देती है कि आवेदकों को इसकी शंका थी कि यदि उन्होंने ऐसा कोई नामांतरण का आवेदन लगाया तो अनावेदिका उसका विरोध करेगी क्योंकि उसने वर्ष २००८ के शपथपत्र पर अपनी मर्जी से उसकी विषयवस्तु को जान कर अपना अंगूठा निशान नहीं लगाया है.

नामांतरण की कार्यवाही न तो किसी को स्वत्व देने के लिए और न ही उन्हें छीनने या समाप्त करने के लिए है. नामान्तरण के कार्यवाही का उद्देश्य पक्षकारों के स्वत्वों को सही से पहचानते हुए तदनुसार राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि अद्यतन होना सुनिश्चित कराना है. ऐसे में केवल नामांतरण हेतु आवेदन नहीं देने से किसी पक्षकार के स्वत्वाधिकार प्रभावित होने नहीं माने जा सकते. हाँ, नामांतरण आवेदन नहीं लगाए जाने या समय से नहीं लगाए जाने से पक्षकारों की मंशाओं आदि के सम्बन्ध में संकेत, यदि सम्भव हो तो, ग्रहण किये जा सकते हैं जो यहाँ किया जा रहा है.

(७) किसी अन्य व्यक्ति के लम्बे कब्जे आधार पर किसी ऐसे व्यक्ति के स्वत्वाधिकार प्रभावित नहीं माने जाने चाहियें जो अपने स्व्त्वाधिकारों को संरक्षित रखना चाहता है और उसके लिए कार्यवाही कर रहा है. इस प्रकरण में हालाँकि आवेदकों का कब्ज़ा वादसम्पत्ति पर पटवारी प्रतिवेदन राजस्व अभिलेख में लिखा है, किन्तु अनावेदिका अपने स्वत्वाधिकार स्पष्टतः संरक्षित रखना चाहती है, उसके लिए अलग अलग न्यायालयों में लड़ रही है, और वह और उसका पति वाद सम्पत्ति पर आते और खेती पाती करते रहे हैं ऐसा उसने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है. ऐसे में आवेदकों के कब्जे के आधार पर इस प्रकरण में अनावेदिका के स्वत्वाधिकार समाप्त होने और आवेदकों को स्वत्व मिल सकने की बात स्वीकार नहीं की जा सकती.

[५] उपरोक्त बिन्दुओं और विवेचना के प्रकाश में और आधार पर मैं अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाता, और उसे यथावत रखते हुए यह निगरानी अस्वीकार करता हूँ.

आदेश पारित.
पक्षकार सूचित हों.
अभिलेख वापस हों.
प्रकरण समाप्त.
दा द हो.

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर